# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

## – प्रेस–नोट –

**F. 8-A(10)EXAM-B/RESEARCH ASSISTRANT/2024-25/ 41** **DATE 04.06.2025**

आयोग द्वारा मूल्यांकन विभाग के **अनुसंधान सहायक (Research Assistant)** के कुल 26 पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 08.10.2024 को एवं कारागार विभाग के **उप कारापाल (Deputy Jailor)** के कुल 73 पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 01.07.2024 को विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किये गये थे।

उक्त पदों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की रेण्डम/सैम्पल जाँच की गयी। उक्त जाँच में पाया गया कि उक्त पदों की भर्ती हेतु प्राप्त कतिपय आवेदकों ने अनिवार्य योग्यता नहीं होने के बावजूद आवेदन किया है। ऐसे आवेदन पत्रों की सैम्पल सूची आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

आयोग द्वारा पूर्व में भी आवेदन पत्रों को प्रत्याहरित (Withdraw) करने हेतु अनुसंधान सहायक परीक्षा, 2024 के संबंध में प्रेस नोट दिनांक 30.04.2025 को जारी कर दिनांक 07.05.2025 तक एवं उप कारापाल (Deputy Jailor) प्रतियोगी परीक्षा, 2024 के संबंध में प्रेस नोट दिनांक 07.05.2025 जारी कर दिनांक 14.05.2024 तक लिंक खोलने के बावजूद अभी तक अनिवार्य योग्यता नहीं रखने वाले अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्रों को प्रत्याहरित (Withdraw) नहीं किया गया है।

अतः उक्त पदों हेतु आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे विज्ञापन में दी गयी अनिवार्य योग्यता को ध्यानपूर्वक पढ़ लेवें एवं उक्त पदो हेतु योग्यता नहीं रखने वाले अभ्यर्थी दिनांक 05.06.2025 से 09.06.2025 तक SSO Portal पर Login कर Recruitment Portal का चयन कर My Recruitment Section के अंतर्गत सम्बन्धित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध Withdraw Button पर क्लिक कर अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) करें।

भर्ती विज्ञापन के संबंध में वांछित योग्यता धारित नहीं होने के बावजूद आवेदन करने से आयोग का श्रम, समय एवं संसाधनों का अपव्यय होता है। अतः आयोग द्वारा ऐसा कृत्य किये जाने वाले अभ्यर्थियों को भविष्य में ली जाने वाली समस्त परीक्षाओं से विवर्जित (Debar) कर दिया जाएगा एवं उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए असत्य वचन–पत्र के लिए भारतीय न्याय संहिता–2023 की धारा 217 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

उप सचिव